

THE UTTAR PRADESH UPAHAR VASTU  
ADHINIYAM, 1970

(U. P. Act No. 18 of 1970)

(Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Uphar  
Vastu Adhiniyam, 1970).

AN  
ACT

to provide for the prohibition of and punishment for unlawful  
possession of or dealing with goods supplied for relief and  
other charitable purposes by international organisations.

It is HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic  
of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Uphar Short title and  
extent.  
Vastu Adhiniyam, 1970.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. In this Act, unless the context otherwise requires:— Definitions.

(a) "gift goods" means any of the goods specified in  
Schedule I, supplied by way of gift by any relief organisa-  
tion to the Government of India or to the State Govern-  
ment or to any person on behalf of the Government of  
India or the State Government ;

(b) "relief organisation" means any organisation  
specified in Schedule II ; and

(c) "State Government" means the Government of  
Uttar Pradesh.

3. Whoever without reasonable cause is in possession of or Punishment for  
unauthorised pos-  
session of or deal-  
ing with gift  
goods.  
deals with any gift goods otherwise than in conformity with  
the scheme relating to the supply, distribution and custody of  
such goods shall on conviction be liable to be punished with  
imprisonment for a term which may extend to two years or  
with fine or with both.

*Explanation*—Ignorance of the identity of the goods being  
gift goods shall not by itself be deemed to be reasonable  
cause for the purposes of this section.

4. (1) Any police officer may arrest without warrant any Offences to be  
cognizable, and  
trialable by First  
Class Magistrate.  
person who is reasonably suspected of having committed any  
offence punishable under this Act.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the first  
class shall try any such offence.

5. Any court trying an offence punishable under section 3 Power to order  
forfeiture.  
may direct that any property in respect of which the court is  
satisfied that such offence has been committed shall be forfeited  
to Government.

6. (1) If the person committing an offence punishable Offences by com-  
panies.  
under this Act is a company, every person who at the time the  
offence was committed was in charge of and was responsible  
to the company for the conduct of business of the company,  
as well as the company, shall be deemed to be guilty of the

\*For statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh  
Gazette Extraordinary*, dated March 4, 1970.

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on  
March 10, 1970, and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on  
April 30, 1970).

(Received the Assent of the Governor on May 19, 1970, under  
Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar  
Pradesh Gazette Extraordinary*, dated May 22, 1970).

offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any such offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of any managing agent, secretaries and treasurers, director, manager, secretary or other officer of the company, such managing agent, secretaries and treasurers, director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation*—For the purposes of this section—

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Power to amend Schedules. 7. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette* :

(i) add any goods to, or omit any goods from, Schedule I ;

(ii) add any organisation to, or omit any organisation from, Schedule II ;

and on the publication of such notification such goods or organisation shall be deemed to be included in or, as the case may be, omitted from such Schedule.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed by the State Government, take effect from the date of its publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses may during the said period agree to make, so, however, that any such modifications or annulments shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

#### SCHEDULE I

[See SECTIONS 2 (a) AND 7]

1. Corn meal.
2. Milk powder.
3. Soyabean oil ; sunflower seed oil.

#### SCHEDULE II

[See SECTIONS 2 (b) AND 7]

1. United Nations International Children Emergency Fund (UNICEF).
2. Co-operative for American Relief Everywhere (CARE).
3. Church World Service.
4. Lutheran World Relief.
5. Catholic Relief Service.
6. Young Men's Christian Association (YMCA).
7. International Red Cross.

## उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु अधिनियम, 1970

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 ; 1970]

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 अप्रैल, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

[भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19 मई, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 मई, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहायता तथा दान संबंधी-प्रयोजनों के लिये संपूर्ति की गयी वस्तुओं को अवैध रूप से कब्जे में रखने या उनका लेन-देन करने का प्रतिषेध करने और उनके लिये दण्ड की व्यवस्था करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) “उपहार वस्तु” का तात्पर्य अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी ऐसी वस्तु से है, जो किसी सहायता संस्था द्वारा भारत सरकार को या राज्य सरकार को अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से किसी व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्रदान की गई हो ;

(ख) “सहायता संस्था” का तात्पर्य अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी सहायता संस्था से है ; और

(ग) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

3—यदि कोई व्यक्ति उचित कारण के बिना, किसी उपहार वस्तु को ऐसे उपहार वस्तुओं की संपूर्ति, वितरण तथा अभिरक्षा से संबद्ध योजना के अनुपालन के अतिरिक्त अपने कब्जे में रखता है या उसका लेन-देन करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसी अवैध के लिए कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक की हो सकती है अथवा अर्थ दण्ड का भागी होगा या दोनों दण्डों का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस बात की अनभिज्ञता को कि कोई वस्तु उपहार वस्तु है या नहीं, इस धारा के प्रयोजनों के लिये उचित कारण नहीं समझा जायगा।

4—(1) कोई भी पुलिस आफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किये जाने का युक्तियुक्त सन्देह हो; वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

(2) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, ऐसे किसी अपराध पर विचार न करेगा।

5—कोई न्यायालय जो धारा 3 के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार करे यह निदेश दे सकता है कि कोई संपत्ति जिसके संबंध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि ऐसा अपराध किया गया है, सरकार के प्रति जब्त कर ली जायें।

6—(1) यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के नियम के अधीन दंडनीय अपराध करे तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय, कम्पनी का कारोबार चलाने के लिये, उसका प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, और साथ ही वह कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा की किसी बात के कारण वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) यदि कोई कम्पनी ऐसा अपराध करे और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 4 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

संक्षिप्त नाम  
तथा प्रसार

परिभाषाएं

उपहार वस्तुओं  
को अनधिकृत  
रूप से कब्जे में  
रखने या उनका  
लेन-देन करने के  
लिये दण्ड

अपराध संज्ञेय  
होंगे और प्रथम  
श्रेणी के मैजि-  
स्ट्रेट द्वारा विचार-  
णीय होंगे

जब्त का आदेश  
देने का अधिकार

कंपनियों द्वारा  
अपराध

या उसकी मीनानुकूलता से हुआ है तो उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी उक्त मैनेजिंग एजेंट सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायें और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

- (क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और  
(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साक्षीदार से है।

अनुसूचियां  
संशोधित करने का  
अधिकार

7—(1) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा—

- (1) अनुसूची 1 में कोई वस्तु बढ़ा सकती है, अथवा उसमें से कोई वस्तु निकाल सकती है;  
(2) अनुसूची 2 में कोई संस्था बढ़ा सकती है, अथवा उसमें से कोई संस्था निकाल सकती है;

और ऐसी विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर ऐसी वस्तु या संस्था, यथास्थिति ऐसी अनुसूची में, सम्मिलित की गयी या उसमें से निकाली गई समझी जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथा-शक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखी जायेगी और, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई वाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगी जो दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का विज्ञप्ति के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

अनुसूची 1

[धारा 2 (क) तथा 7 देखिए]

- 1—मक्के का आटा (फार्न मील) ।
- 2—दूध का पाउडर ।
- 3—सोयाबीन का तेल, सुरजमुखी के बीज का तेल ।

अनुसूची 2

[धारा 2 (ख) तथा 7 देखिए]

- 1—यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फण्ड (यू० एन० आई० सी० ई० एफ०) ।
- 2—कोस्त्रापरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर (सी० ए० आर० ई०) ।
- 3—चर्च वल्ड सविस ।
- 4—लूथरन वल्ड रिलीफ ।
- 5—कैथोलिक रिलीफ सविस ।
- 6—यंग मॅन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाई० एम० सी० ए०) ।
- 7—इन्टरनेशनल रेड क्रॉस ।